





e-Stamp

Government of  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh  
 Government of Uttar Pradesh

1. NAME OF THE APPLICANT  
 2. DATE OF APPLICATION  
 3. NAME OF THE PROPERTY  
 4. ADDRESS OF THE PROPERTY  
 5. DISTRICT  
 6. PIN CODE  
 7. NAME OF THE OFFICER  
 8. SIGNATURE OF THE OFFICER  
 9. NAME OF THE OFFICE  
 10. ADDRESS OF THE OFFICE  
 11. PIN CODE OF THE OFFICE  
 12. NAME OF THE OFFICER  
 13. SIGNATURE OF THE OFFICER  
 14. NAME OF THE OFFICE  
 15. ADDRESS OF THE OFFICE  
 16. PIN CODE OF THE OFFICE



15/03/2023  
 15/03/2023  
 15/03/2023

सन् 2023-24 में उपरोक्त स्थान पर नया कच्चा इमारत का निर्माण करवाये जाने के लिये आवश्यक सब दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रस्ताव के अन्तर्गत निर्माण करवाये जाने वाले इमारत का नाम 15/15 दिवस आवास बनवाये जायेगा।

1. यह कि हमारी भूमि पर इमारत का निर्माण करवाये जाने के लिये आवश्यक सब दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया है।
2. यह कि हमारी भूमि पर इमारत का निर्माण करवाये जाने के लिये आवश्यक सब दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर निर्माण करवाये जाने वाले इमारत का नाम 15/15 दिवस आवास बनवाये जायेगा।
4. यह कि उपरोक्त भूमि पर निर्माण करवाये जाने वाले इमारत का नाम 15/15 दिवस आवास बनवाये जायेगा।

NOTARY  
 ETAL

15/03/2023

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही अद्यतन विप्लोमा कार्यालय संस्थान के संघानन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोमाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही विप्लोमा कार्यालय संस्थान का ही संघानन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था के फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शर्तों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में इतिहास प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतम न्यायालय से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / आई.टी.आई. आदि का संघानन व तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संघानन हेतु आवश्यक कनाल रुम, इलेक्ट्रिकल और फार्मस्यूटिकल आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संघानन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की क्वाटी सोमाइटी / ट्रस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर दिया जायेगा।
12. यह कि आसन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / शर्तों का भारीभांति पालन करेगा। यदि इन संस्थान में किन्हीं भी समय स्थलीय निरीक्षण में जानबूझकर कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं चुनौती मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी से पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित भवना सुदिपूर्व पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निवन्तानुसार कानून सभ्य कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही कभी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।



*Signature*  
 H. K. Singh

NOTARY  
 ETAH  
 3/10/2023